समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 27-02-2017 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :- पंजी के अनुसार।

(2) अनुपस्थित पदाधिकारी

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित पाये गये :-

क्र0	संबंधित पदाधिकारी	अभ्युक्ति
1.	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, राघोपुर	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
2.	कार्यपालक दण्डाधिकारी, उदाकिशुनगंज	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
3.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुमारखण्ड	हाजरी बनाकर बिना अनुमति प्राप्त किए बैठक से अनुपस्थित।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछा जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

कार्यवाही :-

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों का बैठक में स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(3) लोक शिकायत निवारण :-

(क) अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण, उदाकिशुनगंज :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ग्वालपाड़ा अंचल में अतिक्रमण का मामला लंबित है, जबकि इस संदर्भ में कई बार स्मारित किया जा चुका है। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक ही मामला में तीन-चार मामला सम्मिलित है, फलस्वरूप निष्पादन कराने में समस्या उत्पन्न हो रही है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में पत्राचार करते हुए अविलम्ब निराकरण करावें। यह भी बताया गया कि ग्वालपाड़ा अंचल में चक्रवाती तूफान में दिनांक 10-05-2015 को मृत्यु हो गई है, जिसका अभिलेख स्वीकृत है, परन्तु मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। बताया गया कि आवंटन हेतु विभाग को अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक आवंटन उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिस कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका है।

इसी प्रकार बताया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, जबकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आलमनगर द्वारा बताया गया कि उन्हें ससमय सूचना नहीं दी गयी थी। बताया गया कि सूचना देने हेतु एस0एम0एस0, वाट्सएप एवं मोबाईल से सम्पर्क स्थापित कर सूचना प्रेषित की जाए, ताकि संबंधित पदाधिकारी /प्रतिवादी ससमय उपस्थित हो सके एवं मामलों का त्वरित निष्पादन किया जा सके।

यह भी बताया गया कि एक वाट्सएप ग्रुप अलग-अलग अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण का बनाया जाए, जिसमें पदाधिकारी /कर्मचारी को टैग किया जाए, ताकि सूचना सम्प्रेषण में सहुलियत हो सके।

<u>आलमनगर</u> :- बताया गया कि बासगीत पर्चा रद्द करने से संबंधित एक मामला है, जिसमें अंचलाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को कार्रवाई किया जाना है। बताया गया कि बासगीत पर्चा गलत ढ़ंग से फर्जी मिल गया है। निदेश दिया गया कि यदि इस प्रकार की सूचना प्राप्त होती है या फर्जी तरीके से बासगीत पर्चा निर्गत किया जाता है, जिसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, तो उसे तुरंत नियमानुसार रद्द किया जाए। यह भी बताया गया कि एक मामला है, जो 2 डी0 जमीन में दखल कब्जा से संबंधित है तथा भूधारी के नाम से खतियान बना हुआ है। निदेश दिया गया कि नियमानुसार सुधारने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

<u>(ख) अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण, मधेपुरा</u> :- बताया गया कि मुरलीगंज में 25 मामला लंबित है। बताया गया कि ससमय अनुपालन अंचलाधिकारी, मुरलीगंज द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि किसी पदाधिकारी द्वारा ससमय अनुपालन नहीं किया जाता है, तो उन्हें नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा। अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि भूधारी के नाम से खतियान /हाल सर्वे बना हुआ है। मामला अपील में लंबित है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित कागजात के साथ अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा के समक्ष आज ही उपस्थित होकर मामलों का निराकरण करावें एवं अनुपालन से अगली सोमवारीय बैठक में अवगत करावें।

सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अगली सोमवारीय बैठक से पूर्व अपने-अपने कार्यालय में लंबित लोक शिकायत निवारण से संबंधित मामलों का निराकरण करावें।

<u>कुमारखण्ड</u> :- बताया गया कि कुमारखण्ड में 08 मामला लंबित है। अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि अविलम्ब निराकरण करावें।

<u>शंकरपुर</u> :- बताया गया कि शंकरपुर में 04 मामला लंबित है। निदेश दिया गया कि ससमय निराकरण करावें।

<u>(ग) जिला लोक शिकायत निवारण, मधेपुरा</u> :- समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अनुपालन हो रहा है। यह भी बताया गया कि विद्युत में 13 मामला है, जिसमें ज्यादातर बिल से संबंधित है, जबकि शिक्षा में 05 मामला लंबित है तथा प्रधानाध्यापक के विरूद्ध जांच करने से संबंधित है, जिसका जांच कराकर निराकरण त्वरित गति से हो सकता है।

यह भी बताया गया कि एक मामला ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, मधेपुरा के यहां लंबित है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अविलम्ब अनुपालन सुनिश्चित करावें।

(4) राजस्व :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ग्वालपाड़ा, बिहारीगंज, आलमनगर आदि अंचल में राजस्व की वसूली कम है। बताया गया कि मधेपुरा में मात्र 50 प्रतिशत राजस्व की वसूली हुई है, जबकि बहुत ही कम रसीद काटा गया है।

संबंधित अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि शत-प्रतिशत राजस्व की वसूली सुनिश्चित करायें। प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को निदेश दिया गया कि राजस्व की वसूली में नीचे से तीन अंचलाधिकारी को चिन्हित करें, जिसका वसूली कम है, ताकि उनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' गठित कर विभाग को भेजा जा सके।

(5) सर्टिफिकेट केस :-

जिलाधिकारी द्वारा सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि सर्टिफिकेट केस दायर करें एवं अनुपालन से अवगत करावें। यह भी निदेश दिया गया कि आगामी बैठक में सर्टिफिकेट केस से संबंधित सूची उपलब्ध करायेंगे।

यह भी निदेश दिया गया कि बी0टी0 एक्ट के धारा-44, 66 एवं 24 के संगत प्रावधानों के अधीन नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी को नियमानुसार नोटिस निर्गत किया जाए।

(6) दखल देहानी :-

प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व द्वारा बताया गया कि दखल देहानी में कार्य किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि ससमय कार्य निष्पादित करें।

(7) बंदोवस्त :-

सहायक बंदोवस्त पदाधिकारी, मुख्यालय, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वर्तमान में प्रभारी पदाधिकारी, बंदोवस्त के नहीं रहने के कारण बंदोवस्त कार्यो के ससमय निष्पादन एवं संचिका उपस्थापन में कठिनाई उत्पन्न होती है, फलस्वरूप बंदोवस्त कार्यालय के कार्यो के सम्पादन हेतु प्रभारी पदाधिकारी नामित करने हेतु अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय को निदेश दिया गया कि श्री राजेश रौशन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को अपने कार्यो के अतिरिक्त नोडल पदाधिकारी, बंदोवस्त, मधेपुरा के रूप में प्राधिकृत एवं प्रतिनियुक्त करने हेतु आदेश निर्गत किया जाए।

(8) इंदिरा आवास :-

उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दिनांक 12 फरवरी, 2017 से 18-02-2017 तक इंदिरा आवास की कुल लक्ष्य-4330 के विरूद्ध इस सप्ताह में 39 आवास पूर्ण हुआ है, जबकि 29 प्लींथ लेवल तक तथा लींटन लेवल तक 30 है।

इसी प्रकार दिनांक 18-02-2017 से 25-02-2017 तक प्लींथ लेवल तक आवास की संख्या-06, लींटन लेवल तक आवास की संख्या-11 एवं पूर्ण आवास की संख्या-08 है। स्थिति संतोषजनक नहीं है। बताया गया कि मुरलीगंज में बिना जांच किए एडभाईस निर्गत किया गया तथा पुनः रोक लगा दिया गया है। सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपेक्षित प्रगति लायी जाए अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।

(9) कोशी पुनर्वास :-

मुरलीगंज :- बताया गया कि मुरलीगंज में कोशी पुनर्वास अन्तर्गत बहुत सारे शिकायत प्राप्त हो रहे हैं। 132 व्यक्तियों को राशि उपलब्ध कराने के विरूद्ध 24 व्यक्ति द्वारा ही आवास पूर्ण किया गया है, परन्तु द्वितीय किश्त की राशि नहीं दी गयी है।

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल-660 व्यक्तियों के विरूद्ध सर्टिफिकेट केस दायर किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा खेद प्रकट किया गया है। बताया गया कि कुल-27471 लाभुक है, जिसमें 1095 लाभुक अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किये हैं तथा मधेपुरा के 125 लाभुकों का प्रथम किश्त की राशि फरवरी, 2017 तक विमुक्त नहीं की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वैसे सभी लाभुकों को सर्टिफिकेट केश दायर करें, जिनके द्वारा राशि प्राप्त करने के उपरान्त भी घर नहीं बनाया गया हो तथा आधा-अधूरा घर बनाकर छोड़ दिया गया हो। साथ ही उप विकास आयुक्त,